

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

50 / 2020
2-3-2017

- 1-करणसिंह पुत्र भँवर सिंह जाति राजपूत (राठोर) निवासी निमोला तहसील व जिला-टोंक
- 2-सप्यारबाई पुत्री भँवर सिंह जाति राजपूत (राठोर) निवासी निमोला तहसील व जिला-टोंक

-अपीलान्ट्स

बनाम

- 1-तहसीलदार टोंक जिला-टोंक
- 2-राजेन्द्र पिसरान भँवरसिंह जाति राजपूत (नरुका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
- 3-पप्पूसिंह उर्फ भगवानसिंह पिसरान भँवरसिंह जाति राजपूत (नरुका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
- 4-मुकुटसिंह पिसरान भँवरसिंह जाति राजपूत (नरुका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
- 5-लालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरुका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
- 6-सोनू पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरुका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
- 7-वंदना पुत्री, उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरुका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
- 8-विमलाकंवर पत्नि उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरुका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक

-रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण सं० 1261 दिनांक 26-1-2013 वाके ग्राम इस्लामपुरा तहसील व जिला -टोंक

- उपरिस्थिति - (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स की ओर से
(2) श्री अशोक कासलीवाल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स की ओर से

निर्णय

दिनांक 27-1-2021

- 1- 'अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स सं० 1 तहसीलदार टोंक ने अपीलान्ट के पिता भँवरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत (राठौड) की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा ग्राम निमोला तहसील टोंक का विरासत का नामान्तरकरण सं. 1261 रेस्पोडेण्ट सं. 2 ता 8 के पक्ष में स्वीकार कर दिया, जिसे निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।



जिला कलेक्टर
टोंक

2- प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलवी प्रतिपक्षीगण जरिए नोटिस की गई। विवादित भूमि से सम्बन्धित नामान्तरकरण की प्रति गई। प्रतिपक्षीगण के अभिभाषक के उपरिथत नहीं होने से अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

3- प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ती नामान्तरकरण विधि-विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है तथा ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा ग्राम निमालो भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत (राठौड) के रथान पर उनके जायज वारिसान अपीलान्ती के पक्ष में तस्दीक किये जाने के लिये आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। क्योंकि कि ग्राम निमोला में दो भंवरसिंह थे जिनके पिता के नाम समान अर्थात् नन्दसिंह है, अपीलान्ती के पिता भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह पुत्र जाति राजपूत जो राठौड थे तथा दूसरे भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत (नरुका) थे, ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा ग्राम निमोला अपीलान्ती के पिता भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह राजपूत राठौड को आवंटित की गई थी जिनको पहले गैर खातेदारी व बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, इस भूमि से रेस्पोजेन्ट्स के पिता का या रेस्पोजेन्ट्स का कोई लेना-देना किसी प्रकार का नहीं है इस पर पहले अपीलान्ती के पिता का तथा उनके देहान्त के बाद से लेकर कब्जा काश्त अपीलान्ती का मौके पर चला आ रहा है। ग्राम निमोला में दोनों भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह के नाम अलग-अलग खातेदारी में भूमियां थी जिनको जमाबन्दीया भी अलग-अलग है परन्तु दोनों के नाम समान होने से ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा का नामान्तरकरण भी भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत (नरुका) की अन्य भूमि किता 5 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा व ख. नं. 1118 की भूमि के साथ-साथ ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण भी रेस्पोजेन्ट नं. 2 ता 8 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जब कि ख. नं. 140 अपीलान्ती के पिता की भूमि है इस कारण उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ती के पक्ष में स्वीकार किया जाना चाहिए।

4- अभिभाषक अपीलान्ती द्वारा यह भी तर्क दिया कि उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ती को सुना नहीं गया है एवं किसी प्रकार जांच नहीं की गयी है परन्तु जमाबन्दीयों में खातेदारान के नाम व पिता के नाम समान होने से त्रुटिवाश नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट्स के नाम तस्दीक किया गया है जब कि रेस्पोजेन्ट्स नं. 2 ता 8 का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है अपीलान्ती को पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु कुछ दिन पहले रेस्पोजेन्ट्स सं. 2 ता 8 द्वारा नाजायज रूप से अपीलान्ती को बेदखल करने व भूमि को बिना किसी अधिकार के अन्य के हक में अन्तरण करने की धमकी देने पर राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी करवाकर नकल निकलवाकर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना-पत्र अलग से पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सं० 1261 ख० नं० 140 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम निमोला तह० टोंक को हद तक निरस्त किया जावे।

5- अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलान्ती ने उक्त अपील वास्तविक तथ्यों को छुपा कर मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। अपीलान्ती ने पिता का नाम भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह होने के आधार पर बिना शजरे व बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रस्तुत की गई है यदि अपीलान्ती द्वारा अपने नाम की एवं अपने पिता के नाम की अन्य खातेदारी की भूमि का विवरण और उनका राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत कर देते तो उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती,लेकिन माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आशय से अस्पष्ट एवं अपूर्ण तथ्यों को प्रकट करते हुए उक्त अपील



जिला कलेक्टर
टोंक

प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त का यह दायित्व था कि उक्त नामान्तरकरण क्या रेस्पोडेण्ट्स के पिता की मृत्यु बाबत खुला है या अपीलान्त के पिता की मृत्यु बाबत ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने बहस में यह भी अंकित किया कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 28-1-2013 को खोला गया नामा० सं० 1261 आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 18 बिस्वा ग्राम निमाला का फोती का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के पिता भँवरसिंह पुत्र नन्दसिंह का है, रेस्पोडेण्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 5-2-2012 को हुई है, जिसका फोती नामान्तरकरण दिनांक 28-1-2013 को खोला गया है, जबकि अपीलान्ट्स की पिता की मृत्यु तो लगभग 30-40 वर्षों पहले हो चुकी तो 30-40 वर्षों पहले हुई मृत्यु का नामान्तरकरण किस आधार पर अपने पक्ष में करवाना चाहते हैं, और रेस्पोडेण्ट्स के पिता भँवरसिंह व उनके भाई मदनसिंह की खातेदारी में अन्य भूमि ख० नं० 104,107,160,1354,1383,1561, भी थी जिसका संयुक्त भूमि का अंकन भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2063 में अंकित है, उक्त सभी खातेदारी की भूमि के साथ खसरा नम्बर 140 रकबा 18 बिस्वा का भी सम्मिलित में अंकन है। रेस्पोडेण्ट्स के पिता ने उक्त भूमि पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोंक से दिनांक 12-1-2008 को रहन रख कर ऋण राशि प्राप्त की है जबकि अपीलान्ट्स के पिता तो वर्ष 2008 में जीवित ही नहीं थे तो फिर किस प्रकार से अपीलान्ट्स के पिता की उक्त भूमि खातेदारी में होना संभव है।

6- अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया कि रेस्पोडेण्ट्स के पिता भँवरसिंह के दादा का नाम कालूसिंह था जबकि अपीलान्ट्स के पिता भँवर के के दादा का नाम केसरसिंह था जिसका भी रेस्पोडेण्ट्स द्वारा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स के पिता की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 135,137,138,139 दर्ज थी जो उनके पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई और अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का बेचान दिनांक 5-7-1982 को किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया अर्थात् उनकी खातेदारी की भूमि जो उनको प्राप्त हुई है, उसका बेचान तो वह कर चुके हैं, जिसकी भी नकलें रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई हैं यदि खसरा नम्बर 140 की खातेदारी अपीलान्ट्स के पिता की होती तो वह भूमि भी अपीलान्ट्स के खाते में अन्य भूमि के साथ नामान्तरकरण खुल चुका होता। लेकिन उक्त खसरा नम्बर का वास्तविक रूप से आज तक अपीलान्ट्स व उसके पिता का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है जबकि रेस्पोडेण्ट्स उक्त भूमि पर वर्तमान में खातेदार एवं काश्तकार है और आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं। इन समस्त तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेण्ट्स के पिता ही उक्त भूमि के खातेदार थे और उनकी मृत्यु के बाद विधिक रूप से रेस्पोडेण्ट्स के नाम जरिए फोती नामान्तरकरण कानूनन रूप से तथ्यात्मक रूप से खोला गया है। अतः अपीलान्ट की अपील मय हर्जा खार्चा खारिज किया जावे।

7- अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस को सुना एवं रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम निमोला फोती का नामा० सं० 1261 दिनांक 28-1-2013 भँवरसिंह पुत्र नन्दसिंह की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट्स का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को नहीं सुना गया है एवं किसी प्रकार की जाँच नहीं की है, जमाबन्दियों में खातेदारन के नाम व पिता के नाम समान होने से त्रुटिवंश नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपने कथनों




६
जिला कलेक्टर
टोंक

के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अतः तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तरकरण सं० 1261 दिनांक 28-1-2013 विधि अनुसार स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं० 1261 दिनांक 28-1-2013 वाके ग्राम निमोला तहसील टोंक यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक